



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 20 अप्रैल, 2021

चैत्र 30, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 1002/छ:-पु0-9-21-31(75)-2017  
लखनऊ, 20 अप्रैल, 2021

अधिसूचना

प0आ0-115

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या 34 सन् 2008) की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सहमति से तृतीय वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय, लखनऊ को पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट समस्त अपराधों, जिसका अन्वेषण आतंकवाद निरोधक दस्ता/उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस द्वारा किया गया हो, के विचारण हेतु सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय अधिकारिकता रखने वाले विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती हैं।

आज्ञा से,  
अवनीश कुमार अवस्थी,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1002/VI-P-9-21-31(75)-2017, dated April 20, 2021:

No. 1002/VI-P-9-21-31(75)-2017

*Dated Lucknow, April 20, 2021*

IN exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (Act no. 34 of 2008), the Governor with the concurrence of Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to designate the 3<sup>rd</sup> Senior most Court of Additional District and Session Judge, Lucknow as Special Court having territorial jurisdiction of whole state of Uttar Pradesh for the trial of all offences as specified in the Schedule appended to the aforesaid Act, which are investigated by Anti-Terror Squad/State Police of Uttar Pradesh.

By order,  
AWANISH KUMAR AWASTHI,  
*Apar Mukhya Sachiv.*